

Herbal Gardens

A. Promotion of Herbal Gardens

NMPB intend to establish herbal garden of various types to popularize the usefulness of commonly available and frequently used Medicinal Plants among the various stakeholders and sensitize the public about our traditional knowledge. It is also a way of conserving Rare, Endangered and Threatened (RET) species of Medicinal Plants. Herbal Gardens of various kinds will be promoted under the scheme to create awareness about traditional usage of medicinal plants. This would include Herbal Gardens of National and State importance as well as at the level of Institutions, Schools, Universities, Colleges and Homes.

Eligibility

- Government Organizations, Universities, Research Institutes, Government Aided Colleges and Schools.
- Non-government Organizations (NGOs), Public Sector Undertakings, Federations, Co-operatives, and Societies including Housing Societies etc.

B. Type of Herbal Garden

- 1. Home Herbal Gardens**
- 2. School Herbal Gardens**
- 3. Institutional/ Public Herbal Gardens**
- 4. Herbal Gardens of State and National Importance**

1. Home Herbal Gardens

Encouraging herbal gardens in the homes is a good way to promote use of medicinal plants for primary health care at the household level.

Activities

- Around 20 Medicinal and Aromatic species of which around 10 species (which in addition to medicinal plants could also include a few aromatic/food plants), based on locality specific need and demand will be distributed to interested households. A note on each species, usage and benefit of each species will be provided to the beneficiary by the implementing agency.
- A Database of all such households, including photographic documentation at various stages of implementation will be submitted to NMPB along with a write upon the process/approach adopted, benefit accrued and the sustainability mechanism.
- The implementing agency will take steps for raising awareness in the identified locality.

- In case of dense urban localities potted plants and terrace rearing of medicinal plants should be encouraged.
- These initiatives should be dovetailed with activities like Swachh Bharat, use of bio fertilizers, vermiform post etc.

Norms of Assistance

Financial assistance of Rs. 2500/- per Home Herbal Garden including cost of raising seedling, transportation, awareness raising, documentation, development, dissemination and use of publicity material, folk theatre, special campaigns, etc.

Submission of Proposals

Eligible Organizations can apply to NMPB in the relevant proformas as at **Annexure– VII** where the proposal will go through scrutiny by the Project Screening Committee (PSC) before approval by Standing Finance Committee (SFC).

Annexure – VII

PROFORMA FOR PROJECT PROPOSAL RELATING TO SCHOOL HERBALGARDENS AND HOME HERBAL GARDENS

1. Title of the Project:
2. Name & address of the Project Investigator/organization with full address, telephone, fax and e-mail ID:
3. Status of the Institution (Govt./ Non Govt.) If an NGO (Copy of registration certificate to enclose):
4. Registration number & data (for NGOs, Trusts & Companies), NGOs and companies should also send the Articles of Association, Memorandum of Association & Annual report:
5. Organization or body responsible for the maintenance of the Institution, its Composition and Details:
6. Present activities of organization:
7. Details regarding existing infrastructure:
8. Details of prior experience in the field of Medicinal Plants sector, if any:
9. Total land including patches available (for School Herbal Garden) with the institution area wise and where located (whether inside or outside the campus)and details :
10. No. of Schools/ Home Herbal Garden proposed (Enclose list with name, addresses and Tel. Nos. and copy of MoUs) / consent:
11. Details of medicinal plants along with no. of sapling of each species proposed to be grown under the project (10 to 15 species from the prioritized list of NMPB):
12. Details of awareness activities planned for the project:

13. Certificate for maintenance mechanism after the project period is over (to enclose):
14. Details of other financial resources if any for implementation of the project:
15. Whether any grant has been sanctioned by any other of Central or state/UT Govt. for the same purpose for which the financial assistance is now sought? If yes, Details thereof?

Certified that:

- i. The organization shall abide by all the 'Terms and Conditions' of the grant stipulated in the operational guidelines of the scheme of NMPB, Ministry of AYUSH, Government of India.
- ii. All records and reports related to the project have been maintained separately and shall be shown and furnished as and when required by the Ministry of AYUSH or its authorized representatives.
- iii. Project shall be open for evaluation of physical progress and utilization of funds at the discretion of Ministry of AYUSH.
- iv. The undersigned shall be responsible for the authenticity of the information and documents furnished in the application and proposal.
- v. Ministry of AYUSH shall have the right to recover the grant or take legal action against the organization for any default or deviation from the terms and conditions of sanction of grant.
- vi. No financial assistance/grant has been sought and or obtained from any Central of State Govt. organization.
- vii. It is certified that all applicable laws/rules and legal provisions are followed while preparing the project proposal for this purpose.
- viii. It is also certified that the project proposal is formulated as per the relevant provisions/ clauses of the guidelines of the Central Sector Scheme for Conservation, Development and Sustainable Management of Medicinal Plants.

**Signature of the authorized office Bearer
of the Institution (along with Name,
Designation and Office SEAL)
Telephone/FAX No.**

2. School Herbal Garden

Setting up of herbal gardens in schools is a good way of reaching the minds of children and make them acquainted with the commonly available and frequently used medicinal plants.

Activities

- Schools will be encouraged to set up herbal gardens within their school complex. Schools can have separate plots to make up a total of 500 sq.m. for 10 – 15 species of medicinal plants including tree species.
- Schools will be responsible for maintenance of the Herbal Gardens including irrigation with the active involvement of the students and parent-teacher associations/ NGOs and also make special arrangements during school vacation period. Students will be involved in labelling the plants, watering, weeding etc. which will enhance the knowledge of the students about the benefits and uses of the species nurtured by them.
- The material from School Herbal Gardens could be utilized for further propagation.

Norms of Assistance

Assistance will be given @ Rs.25,000/- per school for an area of 500 sq. m. First year for establishment and up to Rs.7,000/- per annum per school as maintenance cost for the next four years. In case, the schools are proposing area for the School Herbal Garden, which is more or lesser than 500 sq.m., assistance can be considered on pro rata basis based on the justification provided.

Submission of Proposals

Eligible Organizations can apply to NMPB through SMPB in the relevant proformaas at **Annexure – VII** where the proposal will go through scrutiny by the Project Screening Committee (PSC) before approval by Standing Finance Committee (SFC).

**PROFORMA FOR PROJECT PROPOSAL RELATING TO SCHOOL
HERBALGARDENS AND HOME HERBAL GARDENS**

1. Title of the Project:
2. Name & address of the Project Investigator/organization with full address, telephone, fax and e-mail ID:
3. Status of the Institution (Govt./Non Govt.) If an NGO (Copy of registration certificate to enclose):
4. Registration number & data (for NGOs, Trusts & Companies), NGOs and companies should also send the Articles of Association, Memorandum of Association & Annual report:
5. Organization or body responsible for the maintenance of the Institution, its Composition and Details:
6. Present activities of organization:
7. Details regarding existing infrastructure:
8. Details of prior experience in the field of Medicinal Plants sector, if any:
9. Total land including patches available (for School Herbal Garden) with the institution area wise and where located (whether inside or outside the campus) and details :
10. No. of Schools/ Home Herbal Garden proposed (Enclose list with name, addresses and Tel. Nos. and copy of MoUs)/ consent:
11. Details of medicinal plants along with no. of sapling of each species proposed to be grown under the project (10 to 15 species from the prioritized list of NMPB):
12. Details of awareness activities planned for the project:
13. Certificate for maintenance mechanism after the project period is over (to enclose):
14. Details of other financial resources if any for implementation of the project:
15. Whether any grant has been sanctioned by any other of Central or state/UT Govt. for the same purpose for which the financial assistance is now sought ? If yes, Details thereof?

Certified that:

- I. The organization shall abide by all the ‘Terms and Conditions’ of the grant stipulated in the operational guidelines of the scheme of NMPB, Ministry of AYUSH, Government of India.
- II. All records and reports related to the project have been maintained separately and shall be shown and furnished as and when required by the Ministry of AYUSH or its authorized representatives.
- III. Project shall be open for evaluation of physical progress and utilization of funds at the discretion of Ministry of AYUSH.
- IV. The undersigned shall be responsible for the authenticity of the information and documents furnished in the application and proposal.

- V. Ministry of AYUSH shall have the right to recover the grant or take legal action against the organization for any default or deviation from the terms and conditions of sanction of grant.
- VI. No financial assistance/grant has been sought and or obtained from any Central of State Govt. organization.
- VII. It is certified that all applicable laws/rules and legal provisions are followed while preparing the project proposal for this purpose.
- VIII. It is also certified that the project proposal is formulated as per the relevant provisions/ clauses of the guidelines of the Central Sector Scheme for Conservation, Development and Sustainable Management of Medicinal Plants.

**Signature of the authorized office Bearer
of the Institution (along with Name,
Designation and Office SEAL)
Telephone/FAX No.**

हर्बल गार्डन

A.हर्बल गार्डन का प्रचार

NMPB विभिन्न हितधारकों के बीच आमतौर पर उपलब्ध और अक्सर उपयोग किए जाने वाले औषधीय पौधों की उपयोगिता को लोकप्रिय बनाने और हमारे पारंपरिक ज्ञान के बारे में जनता को संवेदनशील बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के हर्बल उद्यान स्थापित करने का इरादा रखता है। यह औषधीय पौधों की दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटग्रस्त (आरईटी) प्रजातियों के संरक्षण का भी एक तरीका है। औषधीय पौधों के पारंपरिक उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए योजना के तहत विभिन्न प्रकार के हर्बल उद्यानों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय और राज्य महत्व के हर्बल गार्डन के साथ-साथ संस्थानों, स्कूलों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और घरों के स्तर पर शामिल होंगे।

पात्रता

- सरकारी संगठन, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान, सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज और स्कूल।
- गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, फेडरेशन, सहकारिता और हाउसिंग सोसायटी आदि सहित सोसायटी।

B.हर्बल गार्डन का प्रकार

1.होम हर्बल गार्डन

2. स्कूल हर्बल गार्डन
3. संस्थागत/सार्वजनिक हर्बल उद्यान
4. राज्य और राष्ट्रीय महत्व के हर्बल उद्यान

1. होम हर्बल गार्डन

घरेलू स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए औषधीय पौधों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए घरों में हर्बल उद्यानों को प्रोत्साहित करना एक अच्छा तरीका है।

गतिविधियां

- लगभग 20 औषधीय और सुगंधित प्रजातियां, जिनमें से लगभग 10 प्रजातियां (जिनमें औषधीय पौधों के अलावा कुछ सुगंधित / खाद्य पौधे भी शामिल हो सकते हैं), स्थानीयता विशिष्ट आवश्यकता और मांग के आधार पर इच्छुक परिवारों को वितरित की जाएंगी। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा लाभार्थी को प्रत्येक प्रजाति, प्रत्येक प्रजाति के उपयोग और लाभ पर एक नोट प्रदान किया जाएगा।
- कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में फोटोग्राफिक प्रलेखन सहित ऐसे सभी परिवारों का एक डेटाबेस एनएमपीबी को अपनाई गई प्रक्रिया/दृष्टिकोण, अर्जित लाभ और स्थिरता तंत्र पर एक लेख के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
- कार्यान्वयन एजेंसी चिन्हित इलाके में जागरूकता बढ़ाने के लिए कदम उठाएगी।
- घने शहरी इलाकों में गमले में लगे पौधे और औषधीय पौधों के टेरेस पालन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- इन पहलों को स्वच्छ भारत, जैव उर्वरकों के उपयोग, वर्मीफॉर्म पोस्ट आदि जैसी गतिविधियों के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

सहायता के मानदंड

रुपये की वित्तीय सहायता। 2500/- प्रति होम हर्बल गार्डन, जिसमें पौध उगाने की लागत, परिवहन, जागरूकता बढ़ाने, प्रलेखन, विकास, प्रचार सामग्री, लोक रंगमंच, विशेष अभियान आदि का प्रसार और उपयोग शामिल है।

प्रस्ताव प्रस्तुत करना

पात्र संगठन एनएमपीबी को अनुलग्नक- VII में दिए गए प्रासंगिक प्रोफार्मा में आवेदन कर सकते हैं, जहां स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) द्वारा अनुमोदन से पहले परियोजना स्क्रीनिंग समिति (पीएससी) द्वारा प्रस्ताव की जांच की जाएगी।

अनुलग्नक - VII

स्कूल हर्बल गार्डन और होम हर्बल गार्डन से संबंधित परियोजना प्रस्ताव के लिए प्रोफार्मा

1. परियोजना का शीर्षक:
2. परियोजना अन्वेषक/संगठन का नाम और पता पूरा पता, टेलीफोन, फैक्स और ई-मेल आईडी के साथ:
3. संस्था की स्थिति (सरकारी/गैर सरकारी) यदि एक गैर सरकारी संगठन (पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करने के लिए):
4. पंजीकरण संख्या और डेटा (एनजीओ, ट्रस्ट और कंपनियों के लिए), गैर सरकारी संगठनों और कंपनियों को एसोसिएशन के

लेख, एसोसिएशन का ज्ञापन और वार्षिक रिपोर्ट भी भेजनी चाहिए:

5. संस्था के रखरखाव के लिए जिम्मेदार संगठन या निकाय, इसकी संरचना और विवरण:

6. संगठन की वर्तमान गतिविधियाँ:

7. मौजूदा बुनियादी ढांचे के बारे में विवरण:

8. औषधीय पौधों के क्षेत्र में पूर्व अनुभव का विवरण, यदि कोई हो:

9. संस्थान के साथ उपलब्ध पैच सहित कुल भूमि (स्कूल हर्बल गार्डन के लिए) क्षेत्रवार और जहां स्थित है (चाहे परिसर के अंदर या बाहर) और विवरण:

10. नहीं। प्रस्तावित स्कूल/होम हर्बल गार्डन (नाम, पते और दूरभाष संख्या और समझौता ज्ञापनों की प्रति के साथ सूची संलग्न करें)/सहमति:

11. औषधीय पौधों का विवरण सहित नं. परियोजना के तहत उगाई जाने वाली प्रस्तावित प्रत्येक प्रजाति के पौधे की संख्या (एनएमपीबी की प्राथमिकता सूची से 10 से 15 प्रजातियां):

12. परियोजना के लिए नियोजित जागरूकता गतिविधियों का विवरण:

13. परियोजना अवधि समाप्त होने के बाद रखरखाव तंत्र के लिए प्रमाण पत्र (संलग्न करने के लिए):

14. परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अन्य वित्तीय संसाधनों का विवरण यदि कोई हो:

15. क्या केंद्र या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के किसी अन्य द्वारा कोई अनुदान स्वीकृत किया गया है। उसी उद्देश्य के लिए जिसके लिए अब वित्तीय सहायता मांगी गई है? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रमाणित किया जाता है कि:

i. संगठन एनएमपीबी, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार की योजना के परिचालन दिशानिर्देशों में निर्धारित अनुदान के सभी नियमों और शर्तों का पालन करेगा।

ii. परियोजना से संबंधित सभी रिकॉर्ड और रिपोर्ट अलग से बनाए गए हैं और आयुष मंत्रालय या इसके अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा जब भी आवश्यक हो, दिखाया और प्रस्तुत किया जाएगा।

iii. आयुष मंत्रालय के विवेक पर परियोजना भौतिक प्रगति और निधियों के उपयोग के मूल्यांकन के लिए खुली होगी।

iv. आवेदन और प्रस्ताव में दी गई जानकारी और दस्तावेजों की प्रामाणिकता के लिए अधोहस्ताक्षरी जिम्मेदार होंगे।

v. आयुष मंत्रालय को अनुदान की वसूली या अनुदान की मंजूरी के नियमों और शर्तों से किसी भी चूक या विचलन के लिए संगठन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार होगा।

vi. राज्य सरकार के किसी केंद्र से कोई वित्तीय सहायता/अनुदान मांगा या प्राप्त नहीं किया गया है। संगठन।

vii. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस उद्देश्य के लिए परियोजना प्रस्ताव तैयार करते समय सभी लागू कानूनों/नियमों और कानूनी प्रावधानों का पालन किया जाता है।

viii. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना प्रस्ताव औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के दिशानिर्देशों के प्रासंगिक प्रावधानों/खंडों के अनुसार तैयार किया गया है।

संस्था के अधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर (नाम, पदनाम और कार्यालय सील के साथ)

टेलीफोन/फैक्स नं.

2. स्कूल हर्बल गार्डन

स्कूलों में जड़ी-बूटियों के बागानों की स्थापना बच्चों के दिमाग तक पहुंचने और उन्हें आमतौर पर उपलब्ध और अक्सर इस्तेमाल होने वाले औषधीय पौधों से परिचित कराने का एक अच्छा तरीका है।

गतिविधियां

स्कूलों को अपने स्कूल परिसर के भीतर हर्बल गार्डन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। कुल 500 वर्गमीटर बनाने के लिए स्कूलों में अलग-अलग भूखंड हो सकते हैं। for10 - वृक्ष प्रजातियों सहित औषधीय पौधों की 15 प्रजातियां। छात्रों और अभिभावक-शिक्षक संघों / गैर सरकारी संगठनों की सक्रिय भागीदारी के साथ 34 सिंचाई सहित हर्बल गार्डन के रखरखाव के लिए स्कूल जिम्मेदार होंगे और स्कूल की छुट्टी अवधि के दौरान विशेष व्यवस्था भी करेंगे। छात्रों को पौधों पर लेबल लगाने, पानी देने, निराई करने आदि में शामिल किया जाएगा जिससे छात्रों को उनके द्वारा पोषित प्रजातियों के लाभों और उपयोगों के बारे में ज्ञान में वृद्धि होगी।

स्कूल हर्बल गार्डन की सामग्री का उपयोग आगे के प्रचार के लिए किया जा सकता है।

सहायता के मानदंड

500 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए प्रति स्कूल रु. 25,000/- की दर से सहायता दी जाएगी। स्थापना के लिए प्रथम वर्ष और अगले चार

वर्षों के लिए रखरखाव लागत के रूप में प्रति स्कूल 7,000/- रुपये प्रति वर्ष तक। यदि स्कूल हर्बल गार्डन के लिए क्षेत्र प्रस्तावित कर रहे हैं, जो 500 वर्ग मीटर से अधिक या कम है, तो दिए गए औचित्य के आधार पर सहायता पर विचार किया जा सकता है।

प्रस्ताव प्रस्तुत करना

पात्र संगठन एनएमपीबी को एसएमपीबी के माध्यम से अनुबंध-VII में प्रासंगिक प्रोफार्मा में आवेदन कर सकते हैं, जहां स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) द्वारा अनुमोदन से पहले परियोजना स्क्रीनिंग समिति (पीएससी) द्वारा प्रस्ताव की जांच की जाएगी।

अनुलग्नक - VII

स्कूल हर्बल गार्डन और होम हर्बल गार्डन से संबंधित परियोजना प्रस्ताव के लिए प्रोफार्मा

1. परियोजना का शीर्षक:
2. परियोजना अन्वेषक/संगठन का नाम और पता पूरा पता, टेलीफोन, फैक्स और ई-मेल आईडी के साथ:
3. संस्था की स्थिति (सरकारी/गैर सरकारी) यदि एक गैर सरकारी संगठन (पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करने के लिए):
4. पंजीकरण संख्या और डेटा (एनजीओ, ट्रस्ट और कंपनियों के लिए), गैर सरकारी संगठनों और कंपनियों को एसोसिएशन के लेख, एसोसिएशन का ज्ञापन और वार्षिक रिपोर्ट भी भेजनी चाहिए:
5. संस्था के रखरखाव के लिए जिम्मेदार संगठन या निकाय, इसकी संरचना और विवरण:
6. संगठन की वर्तमान गतिविधियाँ:
7. मौजूदा बुनियादी ढांचे के बारे में विवरण:
8. औषधीय पौधों के क्षेत्र में पूर्व अनुभव का विवरण, यदि कोई हो:
9. संस्थान के साथ उपलब्ध पैच सहित कुल भूमि (स्कूल हर्बल गार्डन के लिए) क्षेत्रवार और जहां स्थित है (चाहे परिसर के अंदर या बाहर) और विवरण:
10. नहीं। प्रस्तावित स्कूल/होम हर्बल गार्डन (नाम, पते और दूरभाष संख्या और समझौता ज्ञापनों की प्रति के साथ सूची संलग्न करें)/सहमति:
11. औषधीय पौधों का विवरण सहित नं. परियोजना के तहत उगाई जाने वाली प्रस्तावित प्रत्येक प्रजाति के पौधे की संख्या (एनएमपीबी की प्राथमिकता सूची से 10 से 15 प्रजातियां):
12. परियोजना के लिए नियोजित जागरूकता गतिविधियों का विवरण:
13. परियोजना अवधि समाप्त होने के बाद रखरखाव तंत्र के लिए प्रमाण पत्र (संलग्न करने के लिए):
14. परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अन्य वित्तीय संसाधनों का विवरण यदि कोई हो:
15. क्या केंद्र या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के किसी अन्य द्वारा कोई अनुदान स्वीकृत किया गया है। उसी उद्देश्य के लिए जिसके लिए अब वित्तीय सहायता मांगी जा रही है? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रमाणित किया जाता है कि:

I. संगठन एनएमपीबी, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार की योजना के परिचालन दिशानिर्देशों में निर्धारित अनुदान के सभी नियम और शर्तों का पालन करेगा।

II. परियोजना से संबंधित सभी रिकॉर्ड और रिपोर्ट अलग से बनाए गए हैं और आयुष मंत्रालय या इसके अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा जब भी आवश्यक हो, दिखाया और प्रस्तुत किया जाएगा।

III.परियोजना आयुष मंत्रालय के विवेक पर भौतिक प्रगति और निधियों के उपयोग के मूल्यांकन के लिए खुली होगी।

IV. अधोहस्ताक्षरी आवेदन और प्रस्ताव में दी गई जानकारी और दस्तावेजों की प्रामाणिकता के लिए जिम्मेदार होंगे।

V.आयुष मंत्रालय को अनुदान की वसूली करने या अनुदान की मंजूरी के नियमों और शर्तों से किसी भी चूक या विचलन के लिए संगठन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार होगा।

VI. राज्य सरकार के किसी केंद्र से कोई वित्तीय सहायता/अनुदान मांगा या प्राप्त नहीं किया गया है। संगठन।

सातवीं। यह प्रमाणित किया जाता है कि इस उद्देश्य के लिए परियोजना प्रस्ताव तैयार करते समय सभी लागू कानूनों/नियमों और कानूनी प्रावधानों का पालन किया जाता है।

VIII.यह भी प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना प्रस्ताव औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के दिशानिर्देशों के प्रासंगिक प्रावधानों/खंडों के अनुसार तैयार किया गया है।

संस्था के अधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर (नाम, पदनाम और कार्यालय सील के साथ)

टेलीफोन/फैक्स नं.